23.7.19 पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, रिपोर्ट मु० अ० नि० करड़वाली, फर्द मौका, जरी नक्शा का गहन अध्ययन करने बहस वकील करीकेन पर मनन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर खाजा० काश्त० अवै०

Scanned by CamScanner

1955 की धारा 251 (क) के उपबंध भी लागू नहीं होते। राज. भूराजस्व अधि. की धारा 251 (क) की उपधारा 1 (ख) के तहत कोई भी अधिधारी केवल आत्यंतिक आवश्यकता एवं अपनी जोत में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव होने पर ही एक नया मार्ग या विद्यमान मार्ग को चौड़ा या विस्तारित करने के लिए ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। जबकि उक्त प्रकरण में रिपोर्ट भू. प. नि. कटड़ावाली व फर्द मौका मय नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी जोत में पहुंचने हेतु पहले से ही चालू मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। अतः वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के कारण उक्त प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली कैफियत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर